R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2009-11

मासिक शुल्क : ₹ 1 मात्र

खण्ड VII ◆ अंक 10
अप्रैल 2011

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

भुगतान प्रणालियाँ

क्रेडिट/डेबिट कार्डों के उपयोग के लिए कार्डधारकों को ऑन-लाइन चेतावनी

बैंकों को सूचित किया गया है कि वे विभिन्न माध्यमों पर डेबिट/क्रेडिट कार्डों के उपयोग को शामिल करने वाले राशि-निरपेक्ष सभी प्रकार के लेन-देन हेतु ऑन-लाइन चेतावनी की एक प्रणाली लागू करने का उपाय करें। बैंक अधिक -से-अधिक 30 जून 2011 तक इस उपाय का कार्यान्वयन करें।

यह स्मरण होगा कि फरवरी 2009 में बैंकों को ₹ 5000 और उससे अधिक के 'कार्ड उपस्थित नहीं है' वाले सभी लेन-देन के लिए कार्डधारकों को ऑन-लाइन चेतावनियाँ भेजने हेतु अधिदेशित किया गया था। इस उपाय से ग्राहकों को त्वरित कार्रवाई करने में सहायता मिली है यदि कार्ड का दुरुपयोग किया गया है।

पूर्वदत्त भुगतान लिखत-पहचान दस्तावेज

रिज़र्व बैंक ने सभी भुगतान प्रणाली प्रदाताओं, प्रणाली सहभागियों तथा किसी भी संभावित पूर्वदत्त भुगतान लिखत निर्गमकताओं को सूचित किया है कि एनआरइजीए द्वारा जारी तथा राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित एक जॉब कार्ड और भारत के यूनिक पहचान प्राधिकारी द्वारा नाम, पता और आधार संख्या के ब्योरेवाले पत्र को ₹ 5,000 तक के अर्धबंद पूर्वदत्त कार्ड जारी करते समय पहचान के लिए कार्यालयीन वैध दस्तावेज़ के रूप में विचार किया जा सकता है।

शाखा बैंकिंग

नामांकन नियमावली-स्पष्टीकरण

रिज़र्व बैंक ने नामांकनों पर निम्न प्रकार स्पष्टीकरण जारी किए हैं:

नामांकन फॉर्मों में गवाही

नामांकन फॉर्म (फॉर्म डीए1, डीए2 और डीए3) पर बैंक के खाताधारकों के हस्ताक्षरों का गवाहों द्वारा अनुप्रमाणन आवश्यक नहीं है।

बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियमावली,1985 के अनुसार नामांकन फार्म डीए1, डीए2 और डीए3 पर खाताधारक के अंगूठे के प्राप्त निशान को दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना अपेक्षित है।

संयुक्त जमा खाते-नामांकन

नामांकन सुविधा संयुक्त जमा खातों के लिए भी उपलब्ध है। अतः बैंकों को सूचित किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनकी शाखाओं में संयुक्त जमा खाते सहित सभी जमा खातों, 'कोई एक या उत्तरजीवी' अधिदेश के साथ ग्राहकों द्वारा खोले गए संयुक्त खातों में नामांकन सुविधा दी जाती है।

शहरी सहकारी बैंक

आदाता खाता चेकों का संग्रह

सहकारी ऋण समितियों के सदस्यों द्वारा आदाता खाता चेकों के संग्रह में सामना की जा रही कठिनाइयाँ कम करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) अपने उन ग्राहकों के खातों में आहरित किए जाने वाले ₹ 50,000/- तक की राशि के आदाता खाता चेकों के संग्रह पर विचार कर सकते हैं जो सहकारी ऋण समितियाँ हैं, यदि ऐसे चेकों के आदाता ऐसी सहकारी ऋण समितियों के संघटक हैं। तथापि चेकों का संग्रह करते समय बैंक संबंधित सहकारी ऋण समितियों से लिखित रूप में एक स्पष्ट वचनपत्र प्राप्त करें कि वसूली में चेक की आय सहकारी ऋण समिति के उस सदस्य के खाते में जमा की जाएगी जिसका नाम चेक में आदाता के रूप में है।

संग्रहकर्ता बैंक समिति को 'अपने ग्राहक को जानें' सामान्य मानदंड के अधीन रखें और यह बताते हुए समिति के साथ एक करार करें कि समिति के ग्राहकों के 'अपने ग्राहक को जानें' मानदंड समिति के अभिलेखों

विषय सूची

	पृष्ठ
भुगतान प्रणालियाँ	
क्रेडिट/डेबिट कार्डों के उपयोग के लिए कार्डधारकों को ऑन-लाइन चेतावनी	1
पूर्वदत्त भुगतान लिखत-पहचान दस्तावेज	1
शाखा बैंकिंग	
नामांकन नियमावली-स्पष्टीकरण	1
शहरी सहकारी बैंक	
आदाता खाता चेकों का संग्रह	1
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	
सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियों में निवेश	2
शाखा लाइसेंसीकरण नीति में रियायत	2
कृषि ऋणों पर ब्याज को मूलधन में जोड़ना	2
फेमा	
एयरलाइन टिकटों का भुगतान	2
पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण का समापन	2
इलेक्ट्रॉनिक/इंटरनेट कारोबार पोर्टल के माध्यम से समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा कारोबार	2
निर्यात आय की वसूली/प्रत्यावर्तन	3
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का भागीदारी फर्म में भागीदार नहीं बनना	3
सूचना	
माइक्रो वित्त	3
उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षण केंद्र	3
25 पैसे और उससे निम्न मूल्यवर्ग के सिक्कों का विनिमय - संशोधन	4

में परिरक्षित हैं तथा बैंक को छानबीन के लिए उपलब्ध हैं। तथापि संग्रहकर्ता बैंक इससे अवगत रहें कि चेक के असली मालिक के किसी दावे की स्थिति में उसके अधिकार किसी भी तरह से उपर्युक्त अनुदेशों द्वारा प्रभावित नहीं होंगे और बैंक को यह साबित करना होगा कि उन्होंने प्रश्नाधीन चेक का संग्रह करते समय संपूर्ण विश्वास और बिना किसी लापरवाही के कार्य किया है।

रिज़र्व बैंक को यह जानकारी मिली है कि चूँकि सहकारी ऋण समितियाँ समाशोधन गृहों की उप-सदस्य भी नहीं हैं, ऐसी सहकारी ऋण समितियों के सदस्य जिनके पास बैंक खाता नहीं है अपने नाम में आहरित आदाता खाता चेकों के संग्रह में कठिनाइयों का सामना करते हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियों में निवेश

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियों में उनके निवेश के संबंध में 'बाजार मूल्य को अंकित करने' मानदंडों से वित्तीय वर्ष 2009-10 तक स्वीकृत छूट को तीन वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 तक बढ़ा दिया गया है। तद्नुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह स्वतंत्रता होगी कि वे वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए 'परिपक्वता तक धारित' के अंतर्गत सांविधिक चलनिधि अनुपात के अपने समस्त निवेश संविभाग को बही मूल्य आधार पर तथा प्रीमियम के परिशोधन, यदि है, के साथ प्रतिभूतियों की अवशिष्ट अवधि के लिए वर्गीकृत करें।

शाखा लाइसेंसीकरण नीति में रियायत

रिज़र्व बैंक ने टियर 3 से टियर 6 केंद्रों में शाखाएं खोलने के पात्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया है कि वे इसके पूर्वानुमोदन के बिना ऐसा कर सकते हैं तथा कार्योपरांत सहज ही लाइसेंस/लाइसेंसों को जारी किए जाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। उक्त लाइसेंस इस प्रकार खोली गई शाखा के परिसर में उसके ग्राहकों/जनता की सूचना के लिए प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि उनके मन में यह विश्वास रहे कि बैंक की उक्त शाखा बैंकिंग कारोबार करने के लिए प्राधिकृत है।

कृषि ऋणों पर ब्याज को मूलधन में जोड़ना

रिज़र्व बैंक ने सभी प्रायोजक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया है कि वे ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज विकसित करें/विद्यमान पैकेज को संशोधित करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कृषि ऋणों पर ब्याज को मूलधन में जोड़ना इस विषय पर उन्हें जारी किए गए वर्तमान अनुदेशों के अनुरूप हो। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संगत मामलों की पुनःजाँच करें और गलती से अधिक लगाई गई ब्याज की राशि को उक्त खातों में पुनः जमा करें और रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को इसकी सूचना दें।

नाबार्ड और भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा चुनिंदा राज्यों में किए गए हाल के एक अध्ययन से यह प्रकट हुआ है कि कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कृषि ऋण पर ब्याज को तिमाही/छमाही आधार पर मूलधन में जोड़ देने की प्रथा व्याप्त है, फसल/फसल कटाई के चक्रों के अनुसार जोड़ने की नहीं। कतिपय मामलों में नाबार्ड ने यह भी पाया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने प्रायोजक बैंकों द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पैकेज का प्रयोग कर रहे हैं जिसमें अगली अवधि के लिए ब्याज लगाते समय ब्याज को मूलधन से अलग रखने की कोई व्यवस्था नहीं है।

फेमा

एयरलाइन टिकटों का भुगतान

यह देखा गया है कि रिज़र्व बैंक कतिपय मामलों में जहाँ निवासियों द्वारा क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड का उपयोग करते हुए एयर टिकटों का भुगतान किया गया है, कार्ड कंपनियाँ भारतीय रुपए (आइएनआर) में एयर टिकटों की बिक्री से उत्पन्न लेन-देन के संबंध में भारत में परिचालनरत विदेशी एयरलाइनों को देश तथा उनकी रूचि के मुद्रा का चयन करने के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराती रही हैं। ऐसे लेन-देन में अर्जक बैंक के रूप में समुद्रपारीय बैंक भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी बैंक के पास अपने वॉस्ट्रो खाते में अथवा विदेश में खोले गए अपने विदेशी मुद्रा खाते में कार्ड निर्गमकर्ता कंपनी से निधियाँ प्राप्त करते हैं तथा विदेशी एयरलाइन को समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा में भुगतान करते हैं।

रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि विदेशी एयरलाइनों द्वारा अंगीकृत यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के विद्यमान प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। अतः प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक विदेशी एयरलाइनों को सूचित करें कि वे भारत में एयर टिकटों की बिक्री के कारण आइएनआर लेन-देन के निपटान के लिए समुद्रपारीय बैंकों के उपयोग की इस प्रथा को तत्काल बन्द कर दें।

पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण का समापन

यह निर्णय लिया गया है कि निर्यातकों की लागत (अर्थात् अतिदेय निर्यात बिलों पर ब्याज लागत) को कम करने के लिए अतिदेय निर्यात बिल वाले निर्यातक अपने अतिदेय पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण की चुकौती अपने रुपया संसाधनों से भी कर सकते हैं। तथापि, संबंधित जीआर फार्म बकाया बना रहेगा और एक्सओएस विवरण में राशि बकाया दर्शायी जाएगी। वसूली के लिए निर्यातक का दायित्व तब तक जारी रहेगा जब तक निर्यात बिल की वसूली नहीं हो जाती है।

यह स्मरण होगा कि रिज़र्व बैंक ने निर्यातकों को रुपये में/विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण तथा ग्राहक सेवा पर 1 जुलाई 2010 के अपने मास्टर परिपत्र में बैंकों को सूचित किया था कि पोतलदानोत्तर ऋण का समापन निर्यात की गयी वस्तुओं/सेवाओं से संबंधित निर्यात बिलों की विदेश से प्राप्त राशि से किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, निर्यातक और बैंकर के बीच आपसी सहमति के अधीन इस ऋण का भुगतान/पूर्व भुगतान विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते के शेष से और अन्य अवित्तपोषित (वसूली) बिलों की राशि से भी किया जा सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक/इंटरनेट कारोबार पोर्टल के माध्यम से समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा कारोबार

रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि इलेक्ट्रॉनिक/इंटरनेट कारोबार पोर्टल के माध्यम से समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा कारोबार के किसी भी रूप में विप्रेषण विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के अंतर्गत अनुमत नहीं है। रिज़र्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि फेमा 1999 के अंतर्गत विद्यमान विनियमावली निवासियों को घरेलू/समुद्रपारीय बाज़ारों में विदेशी मुद्रा में कारोबार की अनुमति नहीं देती है।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को सूचित किया गया है कि वे समुचित सावधानी बरतें और ऐसे लेनदेन के संबंध में अधिक सतर्क रहें। भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे भुगतानों का संग्रह तथा उन्हें प्रभावित/विप्रेषित करने से वह अपने ग्राहक

को जाने मानदण्डों/काला धन आशोधन मानकों से संबंधित विनियमावली के उल्लंघन हेतु उत्तरदायी होने के अलावा फेमा, 1999 के उल्लंघन के लिए कार्रवाई का पात्र होगा।

रिज़र्व बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक/इंटरनेट पोर्टलों द्वारा जारी गारंटीकृत उच्चतर प्रतिलाभों के साथ विदेशी मुद्रा में कारोबार अथवा निवेश का प्रस्ताव देनेवाले विज्ञापनों को देखा है। कई कंपनियाँ तो एजेंटों की सेवाएं भी लेती हैं जो सीधे-सादे लोगों से विदेशी मुद्रा कारोबार/निवेश योजनाएं शुरू करने के लिए व्यक्तिगत रूप से संपर्क करते हैं तथा उन्हें असंगत/अत्यधिक प्रतिलाभों के वादे के साथ फुसलाते हैं।

निर्यात आय की वसूली/प्रत्यावर्तन

भारत को वसूली और प्रत्यावर्तित करनेवाली माल अथवा सॉफ्टवेयर निर्यातित वस्तुओं के संपूर्ण निर्यात मूल्य का प्रतिनिधित्व करनेवाली स्वीकृत राशि की 'निर्यात की तारीख से छह महीने से बारह महीने तक' परिवर्धित अवधि को अब बढ़ाकर 30 सितंबर 2011 कर दिया गया है। पूर्व में यह रियायत 31 मार्च 2011 तक थी।

किसी विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (एसइजेड) में स्थित किसी इकाई द्वारा निर्यातित वस्तुओं अथवा सॉफ्टवेयर के साथ-साथ भारत से बाहर स्थापित माल गोदामों को निर्यातित वस्तुओं के संपूर्ण निर्यात मूल्य को भारत में वसूली और प्रत्यावर्तन की अवधि से संबंधित प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का भागीदारी फर्म में भागीदार नहीं बनना

भागीदारी फर्म के साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के स्वतःजुड़ने में शामिल जोखिम के मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को किसी भागीदारी फर्म में पूंजी अंशदान अथवा भागीदारी फर्म में भागीदार बनने को प्रतिबंधित किया जाए। मौजूदा भागीदारी के मामले में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया है कि वे भागीदारी फर्मों से समय से पहले अलग हो जाएँ।

सूचना

माइक्रो वित्त

ग्रामीण भारत में निर्धनों को सूक्ष्म वित्त मुख्यतया स्व-सहायता समूह (एसएचजी) - बैंक सहलग्नता मॉडल एवं सूक्ष्म वित्त संस्था (एमएफआइ) - बैंक सहलग्नता मॉडल के द्वारा प्रदान किया जा रहा है।

एसएचजी बैंक सहलग्नता मॉडल

स्व-सहायता समूह (एसएचजी) निर्धन परिवारों से जुडे 10-20 सदस्यों के आर्थिक रूप से सदृश्य समूह हैं जिन्हें छोटी धनराशि की नियमित आधार पर बचत करने के लिए बनाया गया है। एसएचजी की बचत का उपयोग उनके द्वारा समूह सदस्यों को आगे उधार देने के लिए किया जाता है। एसएचजी अपने द्वारा प्रदान किए गए ऋणों पर प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र हैं। बैंकों द्वारा एसएचजी को सीधे वित्तपोषित किया जाता है। 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार, बैंकों में 69.53 लाख एसएचजी के बचत बैंक खाते हैं तथा बैंकों में बचत की राशि 6,199 करोड़ रुपए थी। एसएचजी - बैंक सहलग्नता मॉडल के तहत ऋण से पहले किफायत एवं बचत की जाती है। इस योजना के अंतर्गत 9.7 करोड़ ग्रामीण परिवारों को शामिल किया गया है। 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार, देश में 57,795 रुपए प्रति एसएचजी के औसत ऋण बकाया के साथ बैंकों के पास 48.51 लाख एसएचजी के ऋण बकाया थे।

एमएफआई बैंक - सहलग्नता मॉडल

एमएफआई बैंक सहलग्नता मॉडल के तहत बैंक गरीबों को उधार देने के लिए एमएफआई को उधार देते है। 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार बैंकों के लेखों में 1513 एमएफआई के प्रति बकाया ऋण 10,147.54 करोड़ रुपए था।

एसएचजी को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदम

भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक ने एसएचजी को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं :

(i) सूक्ष्म वित्त को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया है तथा एसएचजी को उधार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार में कमजोर वर्गों को अग्रिमों के तहत लाया गया है। जैसेही एसएचजी अपने स्वयं के संसाधनों को नियंत्रित करने में परिपक्व हो जाते हैं, बैंक उनकी कोटि निर्धारित करते हैं तथा योग्य यमूहों को उनकी बचत के गुणक में ऋण प्रदान करते हैं।

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को कारबार सुविधाप्रदाता (बीएफ) एवं कारबार सम्पर्की (बीसी) मॉडलों के द्वारा वित्तीय एवं बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए मध्यवर्तियों के रूप में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ)/एसएचजी, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआइ) तथा अन्य सिविल सोसायटी संगठनों की सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी है।

(iii) भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को एसएचजी के वित्तपोषण हेतु अपनी शाखाओं को पर्याप्त प्रोत्साहन देने की सलाह दी है।

(iv) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) एसएचजी को आगे उधार देने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को 8.25% वार्षिक की दर पर (सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में वित्तपोषण हेतु 7.75% वार्षिक) तथा आरआरबी एवं सहकारी बैंकों को 7.75% वार्षिक की दर पर (आवधिक आशोधन के अधीन) पुनर्वित्त प्रदान करता है।

(v) नाबार्ड ने एसएचजी का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण/एसएचजी का कोटि निर्धारण आदि को प्रारम्भ किया है।

(vi) नाबार्ड में 200 करोड़ रुपए के कार्पस के साथ एक सूक्ष्म वित्त विकास एवं इक्विटी निधि स्थापित की गई है। वित्तीय वर्ष 2010-11 में इस कार्पस में 200 करोड़ रुपए की और वृद्धि की गई है।

स्रोत : संसदीय प्रश्न

उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षण केंद्र

उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षण केंद्र (सीएएफआरएएल) की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक समाज और एक न्यास के रूप में केंद्रीय बैंकरों, नियंत्रकों और बैंकों के वरिष्ठ प्रबंधन, सरकार और उद्योग के लिए बैंकिंग और वित्त में अनुसंधान और क्षमता निर्माण के लिए एक वैश्विक संसाधन के रूप में विकसित होने के लिए की गई है। श्रीमती उषा थोरात, पूर्व उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक सीएएफआरएएल की निदेशक हैं।

उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षण केंद्र क्यों?

उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षण केंद्र की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय (बीटीसी) के पुनर्स्थापन पर समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की गई थी। समिति की रिपोर्ट में यह परिकल्पित

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या **MR/Tech/WPP-208/South/09-11** **Regd. No. MH/MR/South-29/2009-11**
प्रत्येक महीने के कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चैनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित

है कि उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षण केंद्र बैंकिंग और वित्त पर वैश्विक स्थिति के एक विचार केंद्र के रूप में कार्य करेगा। विभिन्न वैश्विक मंचों में भारत की उभरती हुई स्थिति को देखते हुए दृढ़ता से यह विचार किया गया कि बैंकिंग और वित्त पर अनुसंधान शुरू करने के लिए भारत में एक विश्व स्तर का केंद्र स्थापित किया जाए जो केंद्रीय बैंकों, नीति निर्माताओं, नियंत्रकों और कार्यकर्ताओं के लिए मूल्यवान होगा।

कार्य

उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षण केंद्र निम्नलिखित कार्य करेगा:

- अनुसंधान शुरू करेगा जो केंद्रीय बैंकों और नियंत्रकों तथा वित्तीय क्षेत्र के लिए उपयोगी होगा।
- केंद्रीय बैंकों, नियंत्रकों, बोर्डों और वित्तीय प्रणाली में वरिष्ठ प्रबंधन, बैंकिंग और वित्त से संबंधित मामलों पर उद्योग और सरकार के लिए शिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा।
- शिक्षाशास्त्रियों, अनुसंधानकर्ताओं और कार्यकर्ताओं को बैंकिंग और वित्त में नीति तथा विनियामक मुद्दों के लिए एक मंच उपलब्ध कराएगा।
- अनुसंधान और शिक्षण गतिविधियों के परिणाम प्रसारित करेगा।
- देश के भीतर तथा बाहर की अन्य संस्थाओं से केंद्र की अभिरूचि के क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए सहयोग करेगा।

अनुसंधान

उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षण केंद्र द्वारा शुरू किया गया अनुसंधान व्यापक रूप से माँग संचालित होगा तथा संपूर्ण देश के अनुभव को एक साथ लाने का लक्ष्य भी रखेगा। प्रारंभ में उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षण केंद्र वित्तीय क्षेत्र विनियमन और पर्यवेक्षण, वित्तीय बाज़ार और वित्तीय समावेशन में अनुसंधान को प्राथमिकता देगा। समय के दौरान अनुसंधान के लिए अन्य क्षेत्रों में लेखांकन और लेखा परीक्षा मानक, प्रारक्षित निधि प्रबंध, ऋण प्रबंध, भुगतान और निपटान प्रणालियाँ और ग्राहक सुरक्षा होंगे।

उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षण केंद्र अल्पावधि के लिए उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षण केंद्र के साथ कार्य करने में रूचि रखनेवाले अनुसंधानकर्ताओं अथवा अन्य लोगों को आमंत्रित करेगा जो दीर्घावधि आधार पर शामिल होना चाहते हैं। उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षण केंद्र उन अनुसंधानकर्ताओं का स्वागत भी करेगा जो प्रतिनियुक्ति/अध्ययन अवकाश पर अथवा सहायक/दौरे वाले संकाय के रूप में आ सकते हैं।

शिक्षण गतिविधियाँ

उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षण केंद्र सम्मेलनों, संगोष्ठियों और इ-शिक्षण कार्यक्रमों के स्वरूप में केंद्रीय बैंकरों, नियंत्रकों, पर्यवेक्षकों, बोर्डों और बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ प्रबंधन, सरकार और उद्योग के लिए शिक्षण गतिविधियाँ आयोजित करेगा ताकि वे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें और प्रभावी निर्णय ले सकें।

उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षण केंद्र शिक्षण गतिविधियों में व्यक्तियों, केंद्रीय बैंकों से इस क्षेत्र के विशेषज्ञों, नियंत्रकों, वित्तीय क्षेत्र, उद्योग और परामर्शदाताओं तथा कार्यकताओं के रूप में बाह्य संसाधन का उपयोग करेगा। उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षण केंद्र में प्रमाणित विशेषज्ञता, अनुभव और निष्पक्षता के साथ शिक्षण गतिविधियाँ आयोजित करने के लिए मुख्य संकाय की एक सीमित संख्या भी होगी।

सहयोग

अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के प्रायोजन और विशेषज्ञों को उपलब्ध कराने में सहयोग के लिए तैयार हो गया है।

उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षण केंद्र बौद्धिक और तकनीकी सहायता के साथ संसाधन व्यक्तियों के प्रावधान को उपलब्ध कराने अथवा सुविधा प्रदान करने के लिए भी भारत अथवा विदेश के विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं और वित्तीय क्षेत्र से सहयोग की संभावना का भी पता कर रहा है।

अभिशाषी परिषद

उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षण केंद्र के पास एक अभिशाषी परिषद है जिसके अध्यक्ष गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक हैं। इस अभिशाषी परिषद के वर्तमान सदस्य हैं: डॉ. के.सी.चक्रवर्ती, डॉ. आर.एच.पाटील, श्री वाइ.एच.मालेगाम, डॉ. अशोक गांगुली, श्री टी.वी.मोहनदास पै और डॉ.जे.जे.इरानी।

निधि सहायता

उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षण केंद्र को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निधि सहायता मिलती है। इव व्यवस्था की समीक्षा पाँच वर्षों के बाद की जाएगी।

स्थान

वर्तमान में उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षण केंद्र रिज़र्व बैंक के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय से परिचालित हो रहा है लेकिन यह बांदा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में रिज़र्व बैंक के परिसर से तब तक परिचालित होगा जबतक इस समय विद्यमान बीटीसी काम्प्लेक्स में उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षण केंद्र के लिए मूलभूत सुविधा तैयार नहीं हो जाती है। यह सम्पत्ति अनुसंधान और शिक्षण गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध करानेवाली एक विश्वस्तरीय सुविधा के रूप में विकसित होगी।

उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षण केंद्र की वेबसाइट पर www.cafral.org.in के माध्यम से पहुँचा जा सकता है।

25 पैसे और उससे निम्न मूल्यवर्ग के सिक्कों का विनिमय - संशोधन

मॉनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फर्मेशन रिव्यू के मार्च 2011 अंक में यह सूचित किया गया था कि छोटे सिक्का डिपो वाले सभी बैंकों तथा रिज़र्व बैंक के सभी निर्गम कार्यालयों पर 30 जून 2011 को कारोबार की समाप्ति तक 25 पैसे और उससे निम्न मूल्यवर्ग के सिक्कों का विनिमय किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्दिष्ट बैंक शाखाओं/रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में सिक्कों के विनिमय की संशोधित अंतिम तारीख 29 जून 2011 (30 जून 2011 के बदले) को करोबार की समाप्ति तक है।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित।

ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, संचार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।